(4)

~~संख्या- 2030/V-2-2015-123(आ0)/2015~~

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2016

आवास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक [redacted]

विषय- ~~स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत एस0पी0वी (Special Purpose Vehicle) के निबन्धन के संदर्भ में।~~

महोदय,

~~उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-413/उडा-68/2015 दिनांक 09.12.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।~~

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-1861/V-2-2015-123(आ0) 2015 दिनांक 05.11.2015 द्वारा भारत सरकार के स्मार्ट सिटी गाइडलाइन्स के अन्तर्गत Green Field Project प्रस्ताव में निहित परियोजनाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण एवं मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के एस0पी0वी0 द्वारा किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में कृपया प्रस्तावित एस0पी0वी0 के सुचारू कार्यवाही हेतु एस0पी0वी के निम्नवत् स्वरूप पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1-	एस0पी0वी0 का नाम	-	ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि0 अथवा जो कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत किया जाये।
2-	एस0पी0वी0 की अधिकृत शेयर कैपिटल	-	रू0 10,00,000.00 (उक्त अधिकृत शेयर कैपिटल की राशि भविष्य में निदेशक मंडल की सहमति एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार बढ़ायी जा सकती है।)
3-	शेयर मूल्य	-	रू0 10.00 प्रति शेयर।
4-	एस0पी0वी0 की पेड अप कैपिटल	-	रू0 10,00,000.00
5-	एस0पी0वी0 के प्रथम निदेशक	-	(अ) उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (ब) सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (स) मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (द) संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

6– पेड अप शेयर कैपिटल के शेयर धारकों का विवरण–

क्र0सं0	शेयर धारक का नाम	शेयरों की सं0
1.	उपाध्यक्ष (म0दे0वि0प्रा0)	49997
2.	सचिव (म0दे0वि0प्रा0)	1
3.	मुख्य लेखाधिकारी (म0दे0वि0प्रा0)	1
4.	अधिषासी अभियन्ता (म0दे0वि0प्रा0)	1
5.	मुख्य प्रशासक (उडा)	49997
6.	अपर मुख्य प्रशासक (उडा)	1
7	संयुक्त मुख्य प्रशासक (उडा)	1
8	अधीक्षण अभियन्ता (उडा)	1
	योग	1,00,000

7– निदेशकों की संख्या – न्यूनतम 03, अधिकतम 14

8– एस0पी0वी0 के अध्यक्ष – मुख्य प्रशासक (उडा)

9– एस0पी0वी0 के प्रबन्ध निदेशक – संयुक्त मुख्य प्रशासक (उडा)

उक्त कमांक 07 एवं 08 के पद धारक निदेशक मंडल की सहमति एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत परिवर्तित किये जा सकेंगे।

10– एस0पी0वी0 कम्पनी एक्ट 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक शासकीय कम्पनी होगी।

11– कम्पनी का निबन्धन कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कराया जायेगा।

12– उक्त एस0पी0वी0 के विस्तृत Memorandum of Association and Article of Association का गठन उपाध्यक्ष, म0दे0विप्रा0 एवं संयुक्त मुख्य प्रशासक (उडा) के द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या–2030(1)/V–2–2015–123(आ0)/2015–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषितः–

1. उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव